

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—24/2023 (2023/70) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कानाराम पिता रेमता भील निवासी भगड़िया मालकोट तहसील देवगढ़ जिला राजसंमद प्रार्थी

बनाम

1. देवीलाल पिता सुरजमल खाती निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगीलाल पिता रंगलाल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. हरलाल पिता सुरजमल खाती निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हस्तीमल पिता मोतीलाल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. अम्बालाल पिता जसराज महाजन निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. चान्दमल पिता केसरीमल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शान्तिलाल पिता केसरीमल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सुवालाल पिता केसरीमल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. सल्लु पत्नि मोहनलाल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. गेहरीलाल पिता चान्दमल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. दीपसिंह पिता पेमा उर्फ प्रेमसिंह रावत नि. सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. पन्नासिंह पिता रूपसिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. उदयसिंह पिता विजयसिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. डालीदेवी पत्नि लालसिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. नेनसिंह पिता विजयसिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. पानी पुत्री विजयसिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. रामसिंह पिता लाल सिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. सोसर पुत्री लालसिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. हगामी पुत्री लालसिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपरिस्थित

1. अमरसिंह चारण—

प्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 04.04.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम सरेवड़ी का बाड़िया पटवार हल्का सरवेड़ी तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 290 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 306 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 307 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 308 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 309 रकबा 0.32 है0 आराजी संख्या 310 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 311 रकबा 0.59 है0, आराजी संख्या 312 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 313 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 314 रकबा 0.87 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 80 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं।



प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थी ने दिनांक 01.01.2023 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थी की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 06.02.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1, 3 व 11 लगायत 20 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 2 व 4 लगायत 10 की अदम तामिल प्राप्त होने पर प्रार्थी अधिवक्ता उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। प्रार्थी खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थी खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सरेवड़ी का बाडिया पटवार हल्का सरवेड़ी तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 290 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 306 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 307 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 308 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 309 रकबा 0.32 है0 आराजी संख्या 310 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 311 रकबा 0.59 है0, आराजी संख्या 312 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 313 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 314 रकबा 0.87 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 80 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निष्ठा ठीपा)

उपखण्ड अधिकारी

रायपुर जिला भीलवाड़ा

रायपुर जिला भीलवाड़ा

रायपुर (निष्ठा ठीपा)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—24/2023 (2023/70) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. कानाराम पिता रेमता भील निवासी भगड़िया मालकोट तहसील देवगढ जिला राजसंगढ प्रार्थी

बनाम

1. देवीलाल पिता सुरजमल खाती निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगीलाल पिता रंगलाल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. हरलाल पिता सुरजमल खाती निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. हस्तीमल पिता मोतीलाल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. अम्बालाल पिता जसराज महाजन निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. चान्दमल पिता केसरीमल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शान्तिलाल पिता केसरीमल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1. सुवालाल पिता केसरीमल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सल्लु पत्नि मोहनलाल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गेहरीलाल पिता चान्दमल महाजन निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. दीपसिंह पिता पेमा उर्फ प्रेमसिंह रावत नि. सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पन्नासिंह पिता रूपसिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. उदयसिंह पिता विजयसिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. डालीदेवी पत्नि लालसिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. नेनसिंह पिता विजयसिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. पानी पुत्री विजयसिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. रामसिंह पिता लाल सिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. सोसर पुत्री लालसिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. हगामी पुत्री लालसिंह रावत निवासी सरेवड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुकमनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 04.04.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम सरेवड़ी का वाड़िया पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बेरुन



हल्का आबादी मे प्रार्थी खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 290 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 306 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 307 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 308 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 309 रकबा 0.32 है0 आराजी संख्या 310 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 311 रकबा 0.59 है0, आराजी संख्या 312 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 313 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 314 रकबा 0.87 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 80 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के कारायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 04.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(निर्देशी छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)